प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दाण्डिक विविध याचिका क्रमांक 402/2022

डॉ. के.वी.के. राव पिता स्वर्गीय के. वेंकैया, आयु लगभग 61 वर्ष, वर्तमान निवास प्लॉट नं. 100, हाई कोर्ट कॉलोनी, स्ट्रीट नं. 5, वनस्थलीपुरम, हयात नगर, पुलिस थाना वनस्थलीपुरम, तहसील एवं जिला रंगा रेड्डी, तेलंगाना राज्य 500070।

----याचिकाकर्ता

1–छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस अधीक्षक रायपुर, जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

2–थाना प्रभारी, पुलिस थाना पंडित दीन दयाल उपाध्याय नगर, (डी डी नगर), जिला रायपुर छत्तीसगढ़।

3– अनिल कुमार गोयल पिता सत्यनारायण गोयल, उम्र लगभग 55 वर्ष, निवासी – 76, दलदल सिवनी, मोवा, राम मनोहर लोहिया नगर, आर.सी.एम गोदाम के पास, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492001।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

--- उत्तरवादीगण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री अमित बक्सी, अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 1 और 2/राज्य के लिए : श्री शालीन सिंह बघेल, उप शासकीय अधिवक्ता

उत्तरवादी क्रमांक 3 के लिए : श्री नवीन शुक्ला, अधिवक्ता

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश एवं माननीय श्री अरविंद कुमार वर्मा, न्यायाधीश

बोर्ड पर आदेश

माननीय श्री रमेश सिन्हा, मुख्य न्यायाधीश के अनुसार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमित बक्सी के तर्कों को सुना गया। राज्य शासन के उप–शासकीय अधिवक्ता श्री शालीन सिंह बघेल और उत्तरवादी क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता श्री नवीन शुक्ला के तर्कों को भी सुना गया।

2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित अनुतोषों के साथ प्रस्तुत की गई है:

"(i) यह माननीय न्यायालय कृपया संपूर्ण अभिलेखों को अवलोकनार्थ मंगवाने की कृपा करे।

(ii) यह माननीय न्यायालय कृपया प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 0187/2019 दिनांक 30/05/2019 पुलिस थाना दीनदयाल नगर (डीडी नगर), रायपुर में पंजीकृत तथा याचिकाकर्ता के विरुद्ध सभी परिणामी कार्यवाहियों को रद्द करने की कृपा करे।

(iii) कोई अन्य अनुतोष, जिसे यह माननीय न्यायालय उचित समझे, भी प्रदान की जाए।"

3. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि उत्तरवादी क्रमांक 3 अनिल कुमार गोयल द्वारा उत्तरवादी क्रमांक 2 के समक्ष एक लिखित शिकायत दर्ज की गई थी, जिसमें कहा गया था कि उनकी फर्म मेसर्स आर.के. इंजीनियरिंग ने दिनांक 14/08/2018 को "जैसा है जहां है" के आधार पर पावर प्लांट उपकरणों की स्क्रैप सामग्री की विक्रय और क्रय के लिए याचिकाकर्ता, मेसर्स केधारी ट्रेडर्स के स्वामी के साथ एक करार किया था। शिकायत में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने उक्त करार के बदले में 7.5 करोड़ रुपये की राशि ली और शिकायतकर्ता को केवल 1.89 करोड़ की राशि की सामग्री उठाने की अनुमति दी, इसके बाद, याचिकाकर्ता ने अचानक सामग्री प्रदान करना बंद कर दिया, शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने अधिक धनराशि की मांग की और वापसी मांगने पर याचिकाकर्ता ने इससे इनकार कर दिया, जिससे भा.दं.सं. की धारा 406 और 420 के तहत अपराध कारित हुआ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

4. वर्तमान याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता की फर्मों के बीच दिनांक 14/08/2018 को पावर प्लांट उपकरण की विक्रय और क्रय के लिए एक संविदात्मक करार किया गया था। इसके बाद, शिकायतकर्ता ने खंड 6 के अनुसार करार के भुगतान की शर्तों का उल्लंघन करते हुए भुगतान में चूक की।

5. क्रेता द्वारा लोप कारित किया जाना संविदा भंग का कारण बना। चूंकि क्रेता (शिकायतकर्ता अपने दो अन्य साझेदार के साथ) को सहमत भुगतान अनुसूची के अनुसार दिनांक 15.09.2018 तक 10 करोड़ रुपये और दिनांक 15.10.2018 तक 5 करोड़ रुपये का भुगतान करना था और वह मात्र 7.5 करोड़ रुपये का भुगतान कर सका, जिसके परिणामस्वरूप दो बाद की किश्तों के भूकतान में चूक हुई। चूंकि समयबद्ध निर्धारित भुगतान विक्रय सह क्रय करार का सार है, इसलिए क्रेता ने भुगतान में चूक की है।

6. करार का कुल मूल्य 30 करोड़ रुपये था और भुगतान शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को करारनामा के खंड 6 के अनुसार निर्धारित तरीके से भुगतान की शर्तों से किया जाना था। पहली बार से ही शिकायतकर्ता और उसकी फर्म ने संविदा में पक्षकारों के बीच सहमत हुई राशि के भुगतान में कई बार व्यतिक्रम किया है। 7.5 करोड़ की राशि किश्तों में भुगतान की गई, हालांकि सहमत शर्तों के विरुद्ध व्यतिक्रम हुआ। याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को करार की सहमत शर्तों के अनुसार संपत्ति उठाने की अनुमति दी और उसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा आगे के व्यतिक्रम किए जाने पर, करार के खंड 11 (ख) के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा 27/10/2018 को करार को समाप्त करने का नोटिस भेजा

गया। शिकायतकर्ता की फर्म और भागीदारों द्वारा समाप्ति के नोटिस को स्वीकार किया गया था और विवाद में दोनों पक्षकारों के बीच कई पत्राचार हुए थे।

7. शिकायतकर्ता ने भुगतान अनुसूची और अन्य शर्तों का पालन करने में व्यतिक्रम किया, जिसके कारण अंततः करार समाप्त हो गया और दिनांक 27/10/2018 को खंड 3(ड.) के अनुसार समाप्ति का नोटिस भेजा गया, जिसमें राशि जब्त करने और करार की अन्य सुसंगत शर्तों का भी प्रावधान था और बाद में दिनांक 20/11/2018 को समाप्ति नोटिस भेजा गया।

8. यहां यह उल्लेख करना भी उचित है कि दिनांक 20/11/2018 को करार समाप्त होने के बाद भी, शिकायतकर्ता और उनके साथी श्री सबीर आगा ने बिना अनुमति के साइट से सामग्री उठाना जारी रखा और इसलिए, याचिकाकर्ता की फर्म अर्थात केधारी ट्रेडर्स द्वारा दिनांक 05/12/2018 को शिकायतकर्ता की फर्म के एक साथी श्री सबीर आगा के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 378 के तहत वर्ना पुलिस थाना, वर्ना, गोवा में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

9. लिखित शिकायत दर्ज करने के बाद, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता द्वारा याचिकाकर्ता को दिनांक 11/02/2019 को एक विधिक सूचना पत्र भेजा गया। जिसमें पक्षकारों के बीच हुए करार पर प्रश्न और विवाद उठाया गया और करार को अवैध रूप से समाप्त कर क्षतिपूर्ति का दावा किया गया। हालाँकि, करार के खंड 15 और 16 के अनुसार समाप्ति की वैधता को चुनौती देने के लिए आज तक कोई विधिक कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता ने दिनांक 01/03/2019 को अपने प्रतिनिधि विधिक अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 11/02/2019 को विधिक सूचना पत्र का जवाब दिया, जिसमें विस्तार से बताया गया कि करार की उक्त समाप्ति उचित और विधिवत थी, क्योंकि शिकायतकर्ता और उसके फर्म ने खंड 6 के अनुसार करार की शर्तों और नियमों का पालन नहीं किया है और इसके उल्लंघन में, खंड 11 के अनुसार करार को उचित तरीके से समाप्त कर दिया गया है। विधिक सूचना पत्र के जवाब में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भा.दं.सं. की धारा 406 और 420 का कोई प्रकरण नहीं बनता है क्योंकि उक्त विवाद पूरी तरह से एक संविदात्मक विवाद और सिविल प्रकृति का है।

11. परिवादी ने अपने परिवाद में यह भी आरोप लगाया है कि याचिकाकर्ता द्वारा जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया हैं। हालांकि बार–बार अनुरोध करने के बाद भी शिकायतकर्ता की फर्म द्वारा जीएसटी का विवरण प्रदान नहीं किया गया था और उसके बाद वर्तमान याचिकाकर्ता द्वारा भी जीएसटी का भुगतान किया गया है और जीएसटी का भुगतान नहीं करने के आरोप झूठे हैं।

12. दिनांक 30/05/2019 को प्रथम सूचना पत्र दर्ज होने के बाद से ही, उत्तरवादी अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाही या जांच नहीं की गई है और ढाई साल की अवधि के बाद ही दिनांक

28/01/2022 को याचिकाकर्ता को दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 41 के तहत एक नोटिस दिया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने विस्तार से जवाब दिया और यह तथ्य कि विवाद विशुद्ध रूप से एक दीवानी विवाद है भी उत्तरवादी अधिकारियों की जानकारी में है। अपराध पंजीकृत किया जाना विधि की प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और न्याय के उद्देश्यों के लिए इसे अभिखंडित किया जाना चाहिए। इसलिए, यह वर्तमान याचिका प्रस्तुत की गयी है।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि प्रथम सूचना पत्र याचिकाकर्ता के खिलाफ किसी भी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती है क्योंकि सब कुछ याचिकाकर्ता द्वारा उनके बीच दिनांक 14.08.2019 को हुए करार के निर्बंधनो और शर्तों के अनुसार ही सख्ती से किया गया था। याचिकाकर्ता से उस राशि को वापस प्राप्त करने हेतु दबाव डालने के लिए प्रथम सूचना पत्र को यंत्रवत रूप से झूठा फंसाने के लिए एक उपकरण के रूप में दर्ज किया गया है जिसे शिकायतकर्ता करार की शर्तों के अनुसार वापस पाने का हकदार नहीं है। शिकायतकर्ता द्वारा की गई शिकायत से याचिकाकर्ता को किसी भी संपत्ति को परिदत्त करने हेतु उत्तप्रेरित करने के लिए किसी भी प्रकार का बेईमानी, दुर्विनियोग और न्यासभंग का खुलासा नहीं करती है। याचिकाकर्ता के किसी भी कार्य से शिकायतकर्ता को कोई सदोष हानी नहीं हुआ है और इसलिए भारतीय दंड सहिंता की धारा 406 और 420 के तहत कोई अपराध गठित नहीं होता है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि वर्तमान याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 406 और 420 का आरोप झूठा और मनगढ़ंत है ताकि करार की शर्तों के अनुसार विवाद के निपटारा करने संबंधी खंड में परिकल्पित दीवानी उपचारों का लाभ न उठाया जा सके और दांडिक विधि का अनुचित लाभ उठाया जा सके। वास्तव में शिकायतकर्ता की ओर से करार के नियमों और शर्तों का पालन करने और करार के खंड–6 में उल्लिखित भुगतान की अनुसूची के अनुसार समय पर भुगतान करने में चूक हुई है। उत्तरवादी क्रमांक 2 ने मामले में सत्य और सही तथ्यों का पता लगाए बिना प्रथम सूचना पत्र दर्ज की है और बिना दिमाग लगाए अग्रिम कार्यवाही किया है। करार की शर्तों के अनुसार, करार से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद के मामले में, करार के खंड–16 के अनुसार न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार हैदराबाद, भारत में है और करार के खंड–15 के अनुसार मध्यस्थता के मामले में गोवा में है। इसलिए, थाना डी. डी. नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा प्रथम सूचना पत्र का दर्ज किया जाना और उसके आधार पर अग्रिम अन्वेषण किया जाना स्वयं पोषणीय नहीं है।याचिकाकर्ता ने कोई अपराध नहीं किया है और शिकायतकर्ता के खिलाफ उसके द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को सुलझाने तथा याचिकाकर्ता पर उसे वापस लेने हेतु दबाव बनाने के लिए उसे गलत तरीके से फंसाया गया है। उन्होंने यह भी तर्क किया कि याचिकाकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच दिनांक 14.08.2019 को करार में विवाद के समाधान के लिए विशिष्ट खंड हैं, शिकायतकर्ता विधिक रूप से उस अधिकार का प्रयोग करने के लिए

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बाध्य है। लेकिन उस अधिकार का प्रयोग किए बिना, शिकायतकर्ता ने कथित दीवानी विवाद को दांडिक अपराध बनाने के दुर्भावनापूर्ण आशय से यह प्रथम सूचना पत्र दर्ज कराई है, जो देश के विधि का दुरुपयोग है, जिसके लिए शिकायतकर्ता को विधि के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए और प्रथम सूचना पत्र को अभिखंडित किया जाए।

14. राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पुलिस को जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है और प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध गठित होता है, तो पुलिस प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने और विधि के अनुसार अग्रिम कार्यवाही करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार, पुलिस ने प्रथम सूचना पत्र दर्ज की और मामले में अन्वेषण किया।

15. प्राइवेट उत्तरवादी क्रमांक 3 को जवाबदावा दाखिल करने के लिए समय दिए जाने के बावजूद, जवाबदावा दाखिल नहीं किया गया है।

16. हमने पक्षकरों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और आक्षेपित प्रथम् सूचना पत्र सहित अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. आपराधिक कार्यवाही को अभखंडित करने के प्रश्न पर विधिक सिद्धांत सुस्थापित है कि शिकायत, प्रथम् सूचना पत्र या अभियोग पत्र को अभखंडित करने के क्षेत्राधिकार का उपयोग संयम से और केवल असाधारण मामलों में किया जाना चाहिए और न्यायालयों को सामान्य रूप से संज्ञेय अपराधों की जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हालाँकि, जहाँ प्रथम् सूचना पत्र या शिकायत में लगाए गए आरोप को अक्षरश: और संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लिए जाने से प्रथम दृष्टया किसी भी अपराध का गठन नहीं होता है या अभियुक्त के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों या दंड प्रक्रिया सहिंता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रथम सूचना पत्र या अभियोग पत्र को अभिखंडित किया जा सकता है।

18. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शरीफ अहमद और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 726,** में प्रतिपादित सिद्धांत को **रिखाब बिरानी और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 823** के मामले में हाल ही में पारित एक निर्णय में दोहराया है और कंडिका क्रमांक 21 से 26 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :–

> "21. अंत में, हम इस न्यायालय द्वारा **शरीफ अहमद और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य, 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 726, के मामले में पारित** विस्तृत निर्णय का उल्लेख करते है, जो भारतीय दंड सहिंता की धारा 406,

415, 420, 503 और 506 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए आवश्यक घटकों को निम्नलिखित शब्दों में प्रस्तुत करता है :–

> "36. भारतीय दंड सहिंता की धारा 406 के तहत एक अपराध हेतु न्यस्त किए जाने की आवश्यकता होती है, जिसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यक्ति किसी भी संपत्ति को सौंप रहा है या जिसकी ओर से संपत्ति सौंपी गई है, वह उक्त संपत्ति का स्वामी बना हुआ है। इसके अलावा, संपत्ति सौंपने वाले व्यक्ति को संपत्ति लेने वाले व्यक्ति पर विश्वास होना चाहिए ताकि उनके बीच एक प्रत्ययी संबंध बनाया जा सके। बिक्री या धन के आदान–प्रदान/प्रतिफल का एक सामान्य लेन–देन न्यस्त किए जाने के बराबर नहीं है। स्पष्ट रूप से, भारतीय दंड सहिंता की धारा 406 का आरोप/अपराध बिलकुल भी नहीं बनता है।
>
> 37. आरोप पत्र में कहा गया है कि धारा 420 के तहत अपराध नहीं बनता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अंतर्गत धोखाधड़ी के अपराध में बेईमानी से प्रलोभन देना, प्रलोभन के परिणामस्वरूप संपत्ति का वितरण करना, तथा इस प्रकार प्रेरित व्यक्ति को क्षति या हानि पहुंचाना शामिल है। छल का अपराध तब स्थापित होता है जब अनुबंध या करार करते समय बेईमानी का इरादा विद्यमान हो, क्योंकि छल के अपराध का आवश्यक तत्व किसी व्यक्ति को छल करके या बेईमानी से प्रेरित करके उसे कोई संपत्ति सौंपने, ऐसा कुछ करने या न करने के लिए प्रेरित करना है जिसे वह धोखा न दिए जाने की स्थिति में न करता या न करता। अन्वेषण अधिकारी के अनुसार, जब समझौता किया गया था, उस समय कोई धोखाधड़ी या बेईमानी का प्रलोभन नहीं दिया गया था।
>
> 38. आपराधिक संत्रास का अपराध तब उत्पन्न होता है जब अभियुक्त का आशय पीड़ित को डराने का होता है, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पीड़ित डरा हुआ है या नहीं। साक्ष्य प्रस्तुत करके यह स्थापित किया जाना चाहिए कि अभियुक्त ने भय उत्पन्न करने का आशय किया था। 'संत्रास' शब्द का अर्थ है डरपोक या भयभीत करना, विशेष रूप से धमकी देकर या मानो धमकी देकर मजबूर करना या रोकना। अभियोग–पत्र में अभियुक्त के रूप में नामित व्यक्ति द्वारा दी गई धमकी, पीड़िता के मन को प्रभावित करने के उद्देश्य से उसे धमकाने के लिए दी गई धमकी होनी चाहिए। 'धमकी' शब्द का

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

तात्पर्य दूसरे व्यक्ति को दंड, हानि या पीड़ा पहुंचाने के आशय से है। चोट लगने का अर्थ है कोई अवैध कार्य करना।

39. इस न्यायालय ने मलिक तनेजा बनाम कर्नाटक राज्य मामले में धारा 506 का संदर्भ दिया था, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 503 में परिभाषित 'आपराधिक संत्रास' के अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है, यह टिप्पणी के लिए कि धारा 503 के तहत अपराध के लिए यह आवश्यक है कि किसी अन्य व्यक्ति को उसके शरीर, प्रतिष्ठा या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने की धमकी दी जाए, जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध हो। यह धमकी, धमकी दिए गए व्यक्ति को भयभीत करने या ऐसा कोई कार्य करने के आशय से होनी चाहिए जिसे करने के लिए वह कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, या ऐसा कार्य करने से चूकना चाहिए जिसे करने का वह हकदार है। बिना किसी भय पैदा करने के आशय से किसी भी शब्द का केवल अभिव्यक्त करना आईपीसी की धारा 506 के तहत अपराध को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। यह दिखाने के लिए सामग्री और सबूत अभिलेख पर रखे जाने चाहिए कि धमकी शिकायतकर्ता को भय पैदा करने या उन्हें कोई काम करने या न करने के लिए मजबूर करने के आशय से दी गई थी। वैधानिक आदेश को ध्यान में रखते हुए, यदि हम आरोप को सही मान भी लें तो भी धारा 506 के तहत अपराध नहीं दर्शाया गया है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. उल्लेखनीय बात यह है कि शरीफ अहमद (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय ने न्यायालयों को आगाह किया था कि वे अस्पष्ट और स्पष्टतः झूठे कथनों के आधार पर आपराधिक मामला बनाने के ऐसे प्रयासों पर रोक लगाएं।

23. इसके अलावा, शरीफ अहमद (पूर्वोक्त) ने इस न्यायालय के कई पूर्व निर्णयों का संदर्भ देते हुए आरोप–पत्र की सामग्री और विषय–वस्तु से संबंधित कानूनी स्थिति को उजागर किया है, जो सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत पुलिस रिपोर्ट की सामग्री को स्पष्ट करते हैं। इसमें यह भी स्पष्ट किया गया है कि जब आरोपपत्र अधूरा या अस्पष्ट पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए । इस संदर्भ में, सी.आर.पी.सी. की धारा 190 और 204 के साथ–साथ सी.आर.पी.सी. की धारा 211 से 213 और 218 का संदर्भ लिया जा सकता है, जो सामूहिक रूप से आरोप के निर्धारण और उसकी विषय–वस्तु को नियंत्रित करती हैं। इस निर्णय के कुछ अंश नीचे पुनःप्रस्तुत हैं :––

"13. अपेक्षित विवरण पूर्ण होने के प्रश्न को इस तरह से समझा जाना चाहिए जो संहिता की धारा 173(2) के तहत अभियोग–पत्र के वास्तविक आशय को प्रभावी करे। संहिता की धारा 173(8) के तहत संदर्भित "अतिरिक्त साक्ष्य" या "पूरक

अभियोग–पत्र" की आवश्यकता, एक पूर्ण अभियोग–पत्र में वृद्धि करने के लिए है,8 और उस अभियोग–पत्र के लिए क्षतिपूर्ति या क्षतिपूर्ति करने के लिए नहीं है जो संहिता की धारा 173(2) की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता है। अभियोग–पत्र तब पूर्ण माना जाता है जब उसमें संज्ञान लेने और वाद के लिए पर्याप्त सामग्री और साक्ष्य मौजूद हों। अभियोग–पत्र में प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य की प्रकृति और मानक से प्रथम दृष्टया यह पता चलना चाहिए कि यदि सामग्री और साक्ष्य प्रमाणित हो जाएं तो अपराध स्थापित हो जाता है। अभियोग–पत्र उस स्थिति में पूर्ण होता है जब मामला केवल अतिरिक्त साक्ष्य पर निर्भर न हो । वाद अभियोग–पत्र के साथ अभिलेख में रखे गए साक्ष्य और सामग्री के आधार पर आगे बढ़ सकता है। यह मानक अत्यधिक तकनीकी या मूर्खतापूर्ण नहीं है, बल्कि यह एक व्यावहारिक संतुलन है जो देरी और लंबे समय तक कारावास के कारण होने वाले उत्पीड़न से निर्दोष लोगों की रक्षा करता है, तथा साथ ही आरोपों के समर्थन में आगे और सबूत पेश करने के अभियोजन पक्ष के अधिकार को कम नहीं करता है।

XX XX XX

16. इस न्यायालय ने भूषण कुमार बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) मामले में संहिता की धारा 190 और 204 का उल्लेख करते हुए टिप्पणी की है कि धारा 190 में "संज्ञान" का अर्थ केवल "जागरूक होना" है, और जब इसका प्रयोग न्यायालय या न्यायाधीश के संदर्भ में किया जाता है तो इसका अर्थ "न्यायिक रूप से संज्ञान लेना" होता है। यह उस समय को इंगित करता है जब न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही आरंभ करने के लिए अपराध का न्यायिक संज्ञान लेता है। यह उस समय को इंगित करता है जब न्यायालय या मजिस्ट्रेट किसी अपराध के संबंध में कार्यवाही आरंभ करने के लिए अपराध का न्यायिक संज्ञान लेता है। यह कार्यवाही शुरू करने से अलग है। बल्कि, यह मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा कार्यवाही शुरू करने से पहले की एक शर्त है। इस स्तर पर, मजिस्ट्रेट को शिकायत या पुलिस रिपोर्ट में दिए गए प्रकथनों को ध्यान में रखना होगा, तथा यह मूल्यांकन करना होगा कि क्या कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त आधारों पर विचार करने के समान नहीं है, क्योंकि दोषसिद्धि के समर्थन में साक्ष्य पर्याप्त हैं या नहीं, इसका निर्धारण केवल विचारण के स्तर पर ही किया जा सकता है, संज्ञान के स्तर पर नहीं। यह पहलू महत्वपूर्ण है और बाद में जब हम के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के निर्णय का परीक्षण करेंगे, तो इसका उल्लेख किया जाएगा, तथा उसमें की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया जाएगा, जिनका उल्लेख अन्य निर्णयों में कई अवसरों पर किया गया है।

17. संहिता की धारा 204 मजिस्ट्रेट को समन जारी करने के कारणों को स्पष्ट रूप से बताने के लिए बाध्य नहीं करती है और यह समन की वैधता तय करने के लिए कोई पूर्व शर्त नहीं है, फिर भी, संहिता की अपेक्षा यह है कि सम्मन तब जारी किया जाता है जब मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। सम्मन उस व्यक्ति को जारी किया जाता है जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हो चुकी है। जानबूझकर अवज्ञा

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

करने पर दंड संहिता, 1860 की धारा 174 के तहत दंडित किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप, संहिता की धारा 204 की भाषा और दंडात्मक परिणामों दोनों को ध्यान में रखते हुए, मजिस्ट्रेट को यह राय बनाने का अधिकार है कि क्या समन जारी करने के लिए पर्याप्त आधार मौजूद है। किसी व्यक्ति को समन जारी किया जाए या नहीं, इस पर निर्णय लेते समय मजिस्ट्रेट मामले में उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रथम दृष्टया असंभाव्यता पर विचार कर सकता है। जिन मानदंडों के आधार पर समन आदेश में हस्तक्षेप किया जा सकता है, वे भूषण कुमार (पूर्वोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा अच्छी तरह से निर्धारित किए गए हैं। संहिता की धारा 204 के अनुसार मजिस्ट्रेट को अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग सावधानी के साथ करना होता है, तब भी जब उसे कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है। किसी दांडिक न्यायालय द्वारा शुरू की गई कार्यवाहियों में आमतौर पर उच्च न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता, जब तक कि न्याय के हितों को सुरक्षित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक न हो।

XX XX XX

19. संहिता की धारा 211 से 213 और धारा 218 आरोप की विषय–वस्तु से संबंधित हैं। इन प्रावधानों का उद्देश्य अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की प्रकृति को उसके संज्ञान में लाना है। इन आरोपों को मुख्य साक्ष्यों द्वारा सिद्ध और स्थापित किया जाना चाहिए। अभियुक्त को आश्चर्यचकित नहीं किया जाना चाहिए या उसे इस तरह से अनजान नहीं होना चाहिए कि उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा हो। संहिता के प्रावधान यह भी निर्धारित करते हैं कि संहिता की धारा 214 के अनुसार आरोप में प्रयुक्त शब्दों की व्याख्या कैसे की जाए, संहिता की धारा 215 के अनुसार आरोप में गलतियों का प्रभाव, संहिता की धारा 216 और 217 के अनुसार आरोप में परिवर्तन करने और आरोप में परिवर्तन होने पर गवाहों को वापस बुलाने की न्यायालय की शक्ति।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. संहिता की धारा 173(2) के अंतर्गत प्रस्तुत अभियोगपत्र, संहिता की धारा 190 के अंतर्गत लिया गया संज्ञान, संहिता की धारा 204 के अंतर्गत आदेशिका जारी करना और अभियुक्त को बुलाना, तथा उसके पश्चात संहिता की धारा 251 के अंतर्गत नोटिस जारी करना, या संहिता के अध्याय XVII के अनुसार आरोप के बीच एक अंतर्निहित संबंध है। अभियोगपत्र में दिए गए विवरण बाद के चरणों में प्रक्रिया की प्रभावकारिता पर पर्याप्त प्रभाव डालते हैं। अभियोगपत्र संज्ञान लेने, नोटिस जारी करने और आरोप विरचित करने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि उस चरण तक न्यायालय के पास यही एकमात्र जांच दस्तावेज और साक्ष्य उपलब्ध होता है। अभियोगपत्र में दिए गए अपराध के लिए पुष्ट कारण और आधार मजिस्ट्रेट के लिए यह मूल्यांकन करने के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन हैं कि क्या संज्ञान लेने, कार्यवाही शुरू करने और फिर नोटिस जारी करने, आरोप विरचित करने आदि के लिए पर्याप्त आधार हैं।

xx xx xx

26. पुलिस जांच का उद्देश्य और प्रयोजन कई गुना है। इसमें तथ्यों का पता लगाने के लिए पारदर्शी और स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने की आवश्यकता शामिल है, यह जांच करना कि कोई अपराध किया गया है या नहीं, यदि कोई अपराध किया गया है तो अपराधी की पहचान करना और न्यायालय के समक्ष एकत्रित साक्ष्य प्रस्तुत करना, जिसकी सत्यता और शुद्धता पर न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाता है।

27. *एच.एन. रिशबुद और इंदर सिंह बनाम दिल्ली राज्य* में, इस न्यायालय ने नोट किया कि जांच की प्रक्रिया में आम तौर पर निम्नलिखित शामिल होते हैं: 1) संबंधित स्थान पर जाना, 2) तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाना, 3) प्रकटीकरण और गिरफ्तारी, 4) साक्ष्य एकत्र करना जिसमें विभिन्न व्यक्तियों की जांच, स्थानों की तलाशी और चीजों को जब्त करना, और 5) इस बारे में राय बनाना कि क्या कोई अपराध बनता है और तदनुसार अभियोगपत्र दाखिल करना। इसलिए राय बनाना कई चरणों की परिणति है जिसके अंतर्गत जाँच की जाती है। अभिनंदन झा बनाम दिनेश मिश्रा में अपने फैसले में इस न्यायालय ने कहा कि आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करना जो राय बना है उस राय की प्रकृति पर निर्भर करता है, जो जांच का अंतिम चरण है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

28. अंतिम रिपोर्ट इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जानी चाहिए और इसमें पर्याप्त विशिष्टता और स्पष्टता के साथ यह दर्शाया जाना चाहिए कि कथित कानून का उल्लंघन किया गया है। जब रिपोर्ट उक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करती है, तो संबंधित न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि संज्ञान लिया जाए या नहीं और अभियुक्त को समन जारी करके आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा करते समय न्यायालय धारा 161 के तहत दर्ज किए गए गवाहों के बयान और जांच अधिकारी द्वारा अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों को ध्यान में रखेगा।

29. तथ्यों और साक्ष्यों को सुनिश्चित करने में किसी भी संदेह या अस्पष्टता के मामले में, मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने से पहले विवेचना अधिकारी को स्पष्टीकरण देने और बेहतर विवरण देने के लिए कह सकता है, आगे की जांच का आदेश दे सकता है या यहां तक कि संहिता की धारा 202 के अनुसार बयान भी दर्ज कर सकता है।

xx xx x x"

24. वर्तमान मामले में अभियोगपत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173(2) के तहत अपेक्षित और अनिवार्य विवरण नहीं है। इसमें केवल प्रथम सूचना प्रतिवेदन की विषय–वस्तु को ही दोहराया गया है, जिसमें किए गए भुगतानों के साथ–साथ यह आरोप भी शामिल है कि राजस्व अभिलेखों में उल्लेखित विचाराधीन गोदाम अपीलार्थी रिखब बिरानी के पुत्र राकेश बिरानी के नाम पर दर्ज है। यह ध्यान देने योग्य

है कि अपीलार्थी रिखब बिरानी ने शिकायतकर्ता को सूचित किया था कि राकेश बिरानी की मृत्यु हो गई है। शिकायतकर्ता ने तब पैसे वापस करने आदि का अनुरोध किया था। हालांकि, प्रथम सूचना प्रतिवेदन में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 354, 504 और 506 के तहत अपराध स्थापित करने के लिए जांच के दौरान उपलब्ध और एकत्र की गई सामग्री और साक्ष्य का उल्लेख नहीं है। स्पष्ट रूप से, उपरोक्त अपराध के घटक स्थापित नहीं किये गये है और बनाये नही गये है।

25. उपर्युक्त चर्चा के मद्देनजर, हम आक्षेपित निर्णय/आदेश को अपास्त करते हैं और प्रथम सूचना प्रतिवेदन और उसके परिणामी कार्यवाहियों जिसमें अभियोगपत्र शामिल है को, अभिखंडित करते हुये वर्तमान अपील को स्वीकार करते हैं।

26. हम स्पष्ट करते हैं कि वर्तमान अपील केवल दांडिक अपराध के प्रश्न से संबंधित है। हमने शिकायतकर्ता–उत्तरवादी क्रमांक–2 के सिविल अधिकारों पर कोई टिप्पणी या अवलोकन नहीं किया है।

19. **हरियाणा राज्य और अन्य बनाम चौ. भजन लाल ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 605** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया था कि उन दिशानिर्देशों का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभतम मामलों में। दिशा–निर्देश निम्नानुसार हैंः

> "(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, अपराधी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं या आरोपी के विरुद्ध प्रकरण नहीं बनाते हैं।
>
> (2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और इसके साथ दी गई अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में लगाए गए आरोप किसी संज्ञेय अपराध को उजागर नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को न्यायसंगत ठहराया जा सकता है, सिवाय संहिता की धारा 156(2) के दायरे में दण्डाधिकारी के आदेश के अंतर्गत।
>
> (3) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और इसके समर्थन में संगृहीत साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने को उजागर नहीं करते है और अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण नहीं बनाते है।
>
> (4) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं हैं, अपितु केवल असंज्ञेय अपराध हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा दण्डाधिकारी के आदेश के बिना जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी, जैसा कि संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत अनुध्यात है।
>
> (5) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से अनधिसम्भाव्य हैं, जिसके आधार पर कोई भी

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

विवेकपूर्ण व्यक्ति इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत दाण्डिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किन्हीं भी उपबंधों में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर स्पष्ट विधिक वर्जन लगाया गया है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावकारी निवारण प्रदान करने वाला कोई विशिष्ट उपबंध है।

(7) जहां किसी दाण्डिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना निहित हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण रीती से अभियुक्त से प्रतिशोध लेने के लिए तथा निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है।"

20. **रूपन देओल बजाज बनाम केपीएस गिल–(1995) एससीसी (सीआरआई) 1059, राजेश बजाज बनाम दिल्ली एनसीटी राज्य–(1999) 3 एससीसी 259 और मेडिकल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड बनाम बायोलॉजिकल ई लिमिटेड और अन्य–2000 एससीसी (सीआरआई) 615** के प्रकरणों में, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया था कि यदि अपराध के अवयवों को उजागर करने वाला प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है, तो न्यायालय को शिकायत को अभिखंडित नहीं करना चाहिए। तथापि, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि आरोप कोई अपराध गठित नहीं करते हैं जैसा कि आरोप लगाया गया है और स्पष्ट रूप से बेतुका और अनधिसम्भाव्य प्रतीत होता है, तो न्यायालय को शिकायत का अभिखंडन करने में संकोच नहीं करना चाहिए। इस बात पर पुनः जोर दिया गया कि ऐसी याचिकाओं पर विचार करते समय न्यायालयों को बहुत सतर्क, सचेत और सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार, इस विधिक प्रतिपादन के विषय में कोई विवाद नहीं है कि यदि कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण बनता है, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट या उसके परिणामस्वरूप कार्यवाही को अभिखंडित नहीं किया जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

21. हाल ही में **निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य–2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 315** के प्रकरण में, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि दुर्लभतम प्रकरणों में सावधानी के साथ अभिखंडित करने की शक्ति का प्रयोग किया जाना

चाहिए। किसी प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत की जांच करते समय, जिसे अभिखंडित करने की मांग की गई है, न्यायालय प्रथम सूचना रिपोर्ट/शिकायत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता, वास्तविकता या अन्यथा के विषय में जाँच नहीं कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्तियां बहुत व्यापक हैं, परन्तु व्यापक शक्तियां प्रदान करने के लिए न्यायालय को सतर्क रहने की आवश्यकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यद्यपि न्यायालय के पास उपयुक्त मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को अभिखंडित करने की शक्ति है, परन्तु न्यायालय, जब दंड०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करता है, को केवल इस बात पर विचार करना होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के आरोप किसी संज्ञेय अपराध का होना उजागर करते हैं या नहीं और गुणदोष के आधार पर उसे प्रकरण पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22. इसलिए, यह पूरी तरह सुस्थापित है कि दुर्भावनापूर्ण रूप से गुप्त उद्देश्यों से संस्थित की गई दाण्डिक कार्यवाही को इस न्यायालय द्वारा दंड०प्र०सं० की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अभिखंडित किया जा सकता है।

23. वर्तमान प्रकरण में, यह प्रतीत होता है कि विवाद प्रकृति में व्यावसायिक है, जिसके कारण दोनों पक्षकारों की ओर से दावे किये जा सकते हैं और इस प्रकार, प्रथम सूचना रिपोर्ट की समग्र जांच से यह स्पष्ट है कि यह विशुद्ध रूप से शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के बीच सिविल प्रकृति का विवाद है और विनियमों के अंतर्गत इसके लिए माध्यस्थम् खंड का एक व्यापक उपाय उपलब्ध है। **विनोद नटेसन बनाम केरल राज्य–(2019) 2 एस. सी. सी. 401** के प्रकरण पर विचार करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया है कि अभियुक्त की ओर से कोई अपराध नहीं किया गया था और एक सिविल विवाद को आपराधिक विवाद में संपरिवर्तित करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार, अभियुक्त के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही जारी रखना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। उक्त निर्णय की प्रासंगिक कंडिका को नीचे उद्धृत किया गया है:

"10.अपीलार्थी को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार के रूप में और मूल अभियुक्त के साथ–साथ केरल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश पर विचार करने के उपरांत, हमारा अभिमत है कि विद्वान उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की है। प्रथम सूचना रिपोर्ट और अपीलार्थी की ओर से प्रकरण में लगाए गए आरोपों और कथनों पर भी विचार करते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 406 और 420 के तत्व पूरी तरह से संतुष्ट होते हैं। पक्षकारों के बीच विवाद को अधिक से अधिक सिविल विवाद कहा जा सकता है और इसे आपराधिक विवाद में बदलने का प्रयास किया गया है। इसलिए, हमारा भी यह मत है कि अभियुक्त के विरुद्ध दाण्डिक कार्यवाही जारी रखना विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसलिए, उच्च न्यायालय ने दाण्डिक कार्यवाही को उचित रूप से अभिखंडित किया है। केवल इसलिए कि मूल अभियुक्त ने करार के अंतर्गत बकाया और संदेय राशि संदत्त नहीं की हो या करार को समाप्त करने से पहले एक महीने के नोटिस के बदले में राशि का भुगतान नहीं किया हो, इसे अपने आप में छल और/या भारतीय दंड संहिता की धाराओं 406 और 420 के अंतर्गत अपराध कारित करना नहीं कहा जा सकता, जैसा कि आरोप लगाया गया है। हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह से सहमत हैं।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. हाल ही में, **सचिन गर्ग बनाम उत्तर प्रदेश राज्य–2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 82** के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विचार को दोहराया था कि एक व्यावसायिक विवाद, जिसे व्यवहार न्यायालय के मंच के माध्यम से हल किया जाना चाहिए था, को दंड संहिता से कुछ शब्दों या वाक्यांशों को उठाकर और उन्हें आपराधिक शिकायत में प्रत्यारोपित करके आपराधिक रंग दिया गया है। उक्त निर्णय की प्रासंगिक कंडिका को नीचे उद्धृत किया गया है:–

"20. हालांकि, यह सत्य है कि समन जारी करने के चरण में दण्डाधिकारी को संज्ञान लेने के लिए केवल प्रथम दृष्टया प्रकरण से संतुष्ट होने की आवश्यकता होती है, दण्डाधिकारी का कर्तव्य इस बात पर भी संतुष्ट होना है कि क्या कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है, जैसा कि जगदीश राम (पूर्वोक्त) के प्रकरण में अभिनिर्धारित किया गया है। पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक

दण्डाधिकारी [(1998) 5 एस. सी. सी. 749] के प्रकरण में भी यही विधिक प्रतिपादन अधिकथित गया है। विद्वान दण्डाधिकारी का समन जारी करने वाला आदेश प्रकरण की पृष्ठभूमि को काफी लंबे विस्तार से दर्ज करता है, परंतु उसकी संतुष्टि को एक गुप्त रीती से दर्शाता है। तथापि, समन जारी करने के चरण में, इस बारे में विस्तृत तर्क की आवश्यकता नहीं है कि दण्डाधिकारी समन क्यों जारी कर रहा है। परंतु इस प्रकरण में, हमें समाधान हो गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए आरोप उन अपराधों को जन्म नहीं देते हैं जिनके लिए अपीलार्थी को विचारण के लिए बुलाया गया है। एक व्यावसायिक विवाद, जिसे सिविल न्यायालय के मंच के माध्यम से हल किया जाना चाहिए था, को दंड संहिता से कुछ शब्दों या वाक्यांशों को उठाकर और उन्हें आपराधिक शिकायत में प्रत्यारोपित करके आपराधिक रंग दे दिया गया है। यहां विद्वान दण्डाधिकारी समन जारी करने में अपने विवेक का प्रयोग करने में विफल रहे और उच्च न्यायालय भी दंड न्यायालय की शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1973 संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. यह सत्य है कि अपीलार्थी संबंधित न्यायालय के समक्ष कार्यवाही के दौरान ही आरोपमुक्त किये जाने की मांग कर सकता है, परंतु यहां हम पाते हैं कि ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं बनाया गया है जो दाण्डिक न्यायालयों के तंत्र को लागू करने को उचित ठहराएगा। यह विवाद, अपने आप में, व्यावसायिक प्रकृति का है जिसमें आपराधिकता का कोई तत्व नहीं है।"

25. तदनुसार, वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है। याचिकाकर्ता के विरुद्ध भा०द०सं० की धारा 420 और 406 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए पुलिस थाने दीनदयाल नगर, जिला रायपुर, छ. ग. में दर्ज आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या (0187/2019) और आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसरण में सम्पूर्ण दाण्डिक कार्यवाही को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

सही/–
(अरविंद कुमार वर्मा)
न्यायाधीश

सही/–
(रमेश सिन्हा)
न्यायाधीश

Head Note

शीर्ष टिप्पण

"When there is a comprehensive remedy of arbitration clause under the Regulations, a case which is of civil dispute cannot be converted into a criminal dispute, it would be an abuse of the process of law."

"जब विनियमों के अंतर्गत मध्यस्थम् खंड का व्यापक उपचार मौजूद हो, तब सिविल विवाद का मामला आपराधिक विवाद में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यह कानून की प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा।"

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur